इकाई 13 प्रोक्ति विश्लेषण

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य
13.1 प्रस्तावना
13.2 भाषा प्रकार्य
  13.2.1 ब्यूलर - याकोब्सन-हैलिडे-भारतीय
13.3 प्रोक्ति
13.4 प्रोक्ति प्ररूप
13.5 प्रोक्ति विश्लेषण
  13.5.1. सामाजिक परिवेश
  13.5.2 सामाजिक-संबंध (प्रास्थिति)
  13.5.3 सामाजिक प्रयोजन
  13.5.4 सामाजिक व्यवहार के पैटर्न
  13.5.5 अभिव्यक्ति-शैली
13.6 पाठ
13.7 संसक्ति
  13.7.1 व्याकरण आधारित
  13.7.2 अर्थ आधारित
13.8 पाठ्य विश्लेषण
13.9 सारांश
13.10 अभ्यास प्रश्न

13.0 उद्देश्य

व्याकरण का संबंध आमतौर पर शब्द रचना और वाक्य संरचना के विश्लेषण से है। व्याकरण वाक्य की रचना तक ही सीमित रहते हैं। आधुनिक भाषाविज्ञान भाषा को उसकी प्राकृतिक परिवेश में देखते हैं और भाषा का प्राकृतिक स्वरूप है उसका विविध क्षेत्रों में प्रयोग। जैसे वार्तालाप, भाषण, निबंध, लेखन, पत्र-लेखन आदि। भाषा के प्रयोग के इन्हीं रूपों को हम प्रोक्ति (discourse) कहते हैं।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- प्रोक्ति की परिभाषा दे सकेंगे,
- प्रोक्ति का स्वरूप और प्रकार समझा सकेंगे,
- प्रोक्ति को भाषा के सामाजिक व्यवहार के संबंध में स्पष्ट कर सकेंगे,
- पाठ की व्याख्या कर सकेंगे, और
- पाठ का विश्लेषण कर सकेंगे।

13.1 प्रस्तावना

मानव एक सामाजिक प्राणी है, यह एक सर्वसम्मत सत्य है। यों तो पशु-पक्षियों और कीटपतंगों में भी न्यूनाधिक सामाजिकता देखने को मिलती है - मधुमक्खियों तथा चींटियों का संगठन प्रायः उदाहरण रूप में उल्लखित किया जाता है - किंतु मानव समाज जैसी जटिलता, व्यापकता और सुगुम्फितता अन्यत्र नहीं मिलती है। कारण अत्यंत सरल है - मानव को भाषा का वरदान मिला है। भाषा समाज के प्रत्येक सदस्य को वह सामर्थ्य देती है जिसे वह अपने विचारों, मनोभावों, कल्पनाओं आदि को दूसरे सदस्य के पास पहुँचा सकता है।

इसके अतिरिक्त भाषा वह माध्यम बनती है जिससे एक पीढ़ी अपनी अर्जित ज्ञान-संपदा, रचना-तकनीकों तथा सामाजिक मूल्यों को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपती है और इस अर्पण-ग्रहण परंपरा से मानव-संस्कृति निरंतर प्रगतिशील बनी रहती है।

भाषा किस प्रकार सामाजिक व्यवहार की नींव में है, इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण ब्लूमफ़ील्ड द्वारा दिया जैक और जिल का अन्योन्य - व्यवहार है। जैक और जिल दोनों जा रहे थे। जिल को भूख लगी थी। रास्ते में जिल को बाड़ के पीछे लगे सेब के पेड़ पर सुंदर-सुंदर सेब दिखई पड़े। जिल ने जैक से कहा, "मुझे भूख लगी है, सेब खाऊँगी।" बस, जैक ने छलांग मार कर बाड़ पार की और पेड़ पर चढ़कर कुछ सेब तोड़े। और इस प्रकार जिल ने अपनी भूख मिटाई। यहाँ जिसे भूख लगी थी वास्तव में उसने कोई शारीरिक प्रयत्न नहीं किया, केवल ज़बान हिलाई। इस वाचिक क्रिया ने साथी को शारीरिक प्रयत्न के लिए प्रेरित किया, और उसने कष्ट उठाकर सेब तोडे। कष्ट किसी को और कष्ट का निवारण कोई अन्य करे, यह भाषा द्वारा ही संभव है। भाषा, इस प्रकार, एक ऐसा साधन है, जिससे समाज का प्रत्येक अपनी दक्षता, कुशलता और सामर्थ्य का लाभ, केवल स्वयं को न पहुंचा कर, दूसरों तक पहुँचाता है। यही श्रम विभाजन और श्रमफल वितरण समाज की आधार शिला है।

जिस कंप्यूटर-प्रधान युग में आज हम सब जी रहे हैं, उस युग तक पहुँचाने वाले वैज्ञानिक प्रयोगों और चिंतनों के मूल में भाषा द्वारा आविष्कृत गणना-पद्धति है। जब एक बार भाषा में एक, दो तीन ..... आदि शब्द बन गए तब हमें गिनना और जोड़ना आ गया। जोड़ना का व्युत्क्रम घटाना है, तथा पुनः पुनः जोड़ना गुणन-प्रक्रिया है। यह गणित शास्त्र और इससे प्रजनित सभी वैज्ञानिक शास्त्र तथ्यतः भाषा प्रयोग के ही परिणाम है। चिंतन-मनन और स्मरण-प्रत्यास्मरण आदि के मूल में भी भाषा है। हम जब सोचते हैं तब भाषिक रूप में तथ्य तथा आँकड़े हमारे सामने आते हैं।

इस प्रकार समाज के सदस्यों के बीच स्थित अन्योन्यक्रिया तथा संस्कृति के मूलाधार गणना एवं चिंतन-मनन - भाषा के दो प्रमुख प्रकार्य (फंक्शन) हैं। पाश्चात्य विद्वानों और भारतीय मनीषियों ने इस दिशा में गंभीरता से चिंतन किया है। इन प्रकार्यों का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा रहा है।

13.2 भाषा-प्रकार्य

पाश्चात्य भाषा-दर्शन में भाषा-प्रकार्यों का उल्लेख करते ही भाषा-दार्शनिक ब्यूलर का नाम सामने आ जाता है। ब्यूलर (1934) ने तीन प्रकार्यों का निरूपण किया है :

(i) समुद्दिष्ट प्रकार्य (referential function)
(ii) क्रियावृत्तिक प्रकार्य (conative function)
(iii) भावबोधक प्रकार्य (expressive function)

(i) समुद्दिष्ट प्रकार्य में वक्ता का ध्यान बिंदु (फ़ोकस) कथ्य विषय-वस्तु पर रहता है। भाषा का प्रकार्य किसी विषय की सूचना को वक्ता से श्रोता के पास पहुँचना है। यह तथ्य प्रधान है।

(ii) क्रियावृत्तिक में वक्ता ध्यान बिंदु श्रोता है। भाषा का प्रकार्य श्रोता को किसी अभीष्ट क्रिया करने की ओर प्रेरित करना है। यह आदेश, अनुरोध, अनुन्य, प्रेरणा, परामर्श, प्रतिबोधन आदि किसी के द्वारा हो सकता है।

(iii) भावबोधक प्रकार्य में भाषा-व्यवहार का ध्यान बिंदु स्वयं वक्ता है। यहाँ भाषा का प्रकार्य आत्म-अभिव्यंजना अथवा सर्जना है। (देखा जाए तो भारतीय चिंतन की ये

तत् (वह : विषयवस्तु), त्वम् (श्रोता : प्रवर्तना) तथा अहम् (वक्ता : स्रष्टा) - प्रधान स्थितियाँ हैं।)

याकोब्सन (1960) ने तीन अन्य, यद्यपि गौण तथा उपरिलिखित तीनों से किसी-न-किसी प्रकार संबद्ध भाषा प्रकार्य जोड़े हैं :

(iv) संपर्कक प्रकार्य (phatic function)

(v) काव्यात्मक (poetic function)

(vi) आधिभाषिक प्रकार्य (metalinguistic function)

(iv) संपर्कक प्रकार्य दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक संपर्क स्थापित करने तथा बनाए रखने में सहायता करता है। ट्रेन में पड़ोस में बैठे व्यक्ति से यह कहना कि आजकल मौसम बहुत खराब चल रहा है, केवल बातचीत करने का श्रीगणेश है, कोई सूचना-वाक्य नहीं।

(v) काव्यात्मक प्रकार्य में संदेश को अधिक बल न देकर भाषाई पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है - उक्ति-वक्रता, पद लालित्य, अलंकार-प्रवणता आदि इसी के साधन हैं।

(vi) आधिभाषिक प्रकार्य में भाषा का प्रकार्य स्वयं भाषा के लिए होता है, न कि बाह्य जगत् या मनोजगत् के किसी तत्व के लिए। उदाहरणार्थ "मैं घर जा रहा हूँ" बाह्य जगत् से संबद्ध वाक्य में आया 'मैं' वक्ता का पर्याय है। किंतु "मैं एक सर्वनाम है" वाक्य में 'मैं' वक्ता का पर्याय नहीं है, बल्कि भाषा-व्याकरण में उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द 'मैं' का व्यंजक है।

हैलिडे (1970) के अनुसार भाषा प्रकार्य अन्य आधार पर निरूपित किए गए हैं। भाषा प्रकार्य तीन हैं :

(1) प्रत्ययप्रधान प्रकार्य (ideational function)
(2) अंतर्व्यक्तिप्रधान प्रकार्य (interpersonal function)
(3) पाठ्यात्मक प्रकार्य (textual function)

(1) प्रत्यय प्रधान प्रकार्य हमारे अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त भाषाई रूप देता है। ये प्रत्यय वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों, स्थितियों तथा घटनाओं एवं घटना-चक्रों से संबंधित होते हैं। इस प्रकार्य के दो अंश हैं - अनुभवात्मक (experiential) और तार्किक (logical)। पहले से अनुभवों के निरूपण पर अधिक बल होता है, दूसरे में तार्किक संबंधों पर जो अनुभवों से अप्रत्यक्षतया संबंधित है।

(2) अंतर्व्यक्तिप्रधान प्रकार्य में सामाजिकता पर अधिक बल है। भाषा का बहुत बड़ा दायित्व सदस्यों को समाज में बाँधे रखना है, और इस दिशा में जो अन्योन्य क्रियाएँ होती हैं उनका आधार भाषा व्यवहार ही है।

(3) पाठ्यात्मक प्रकार भाषा का तीसरा प्रकार्य है। संदेश में अंतर्व्यक्त संबंधों और मूल तथा व्युत्पन्न संप्रत्ययों को पाठ में सुगुम्फित करना इस प्रकार्य का लक्ष्य है। भाषाई विकल्पों का चयन करना तथा उन्हें पाठ्यबद्ध करना इस पाठ्यात्मक प्रकार्य का क्षेत्र है।

भारतीय दर्शन के मीमांसा ग्रंथों में भाषा का मूल प्रकार्य 'विधि' निरूपित किया गया है। यह किसी सीमा तक क्रियावृत्तिक प्रकार्य (ब्यूलर) और अंतर्व्यक्तिकप्रधान प्रकार्य (हैलिडे) के समांतर है। भाषा का मूल, प्राकृतिक और जीवशास्त्रीय प्रकार्य यही है कि एक सदस्य किसी

विशेष परिस्थिति या घटना को देखकर अन्य सदस्यों को समय पर सूचित कर सके ताकि सूचनानुसार वह उपयुक्त व्यवहार कर सके। मीमांसा में यह उपयुक्त अभीष्ट व्यवहार यज्ञ का सुष्ठुरूपेण संपादन है और उस दिशा में याज्विक यजमान व्यक्ति को प्रेरित करता है, दिशा-दर्शन देता है, संपादन में सहायता पहुँचाता है। इन विधि-आत्मक वाक्यों में सबसे व्यापक क्रिया व्यापार 'प्रवर्तना' है। प्रवर्तना ही वस्तुतः भाषा का एक मात्र प्रकार्य है। जब कोई अपनी पत्नी से कहता है कि कल दिल्ली जाना है, तो यह तथ्यात्मक कथ्यपरक संदेश ऊपर से अवश्य सूचना मात्र लगता है किंतु भीतर से प्रवर्तनात्मक है। व्यंजना यह है कि जो कुछ बच्चों के लिए दिल्ली भेजना है, उसे ठीक-ठाक कर दो, बहू को चिट्ठी लिखनी है तो लिख दो, बाजार से मिठाई मँगा दो और रास्ते के लिए नाश्ता तैयार कर दो। इसी प्रकार इस पाठ्यक्रम में यह पाठ आपको पढ़ने व समझने के लिए दे रहे हैं। यह सूचना प्रधान भाषिक कार्य है, तथ्यात्मक प्रकथन-वाक्य हैं, कहीं 'एवं कुरु', 'इदं कुरु' का संकेत नहीं है। किंतु पाठ के आरंभ में उद्देश्यों को यदि आप देखें तो वहाँ पाएँगे कि आप 'प्रोक्ति' को समझ कर प्रोक्ति विश्लेषण कर सकें आदि, जो कि मुख्यतया क्रियावृत्तिक हैं।

13.3 प्रोक्ति

पिछले अनुच्छेदों में भाषा के प्रकार्यों की चर्चा करते समय हमने यह देखा कि हम सब अपने समाज के अन्य सदस्यों के साथ मुख्यतया भाषा के माध्यम से विचारों, भावों, ज्ञान तथा रचना तकनीकों आदि का आदान-प्रदान करते हैं। इन सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं में हुए भाषाई (वाचिक) व्यवहार की स्वयंपूर्ण इकाई 'प्रोक्ति' कही जाती है। उदाहरणार्थ पार्क में सुबह टहलने गए दो सज्जन मिल जाते हैं। नमस्ते, दुआ-सलाम के बाद कुछ देर दोनों कुछ बातें करते हैं, तदनंतर नमस्ते, अलविदा कहते हुए दोनों अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं। इस सामाजिक अन्योन्य क्रिया में जो भाषा-व्यवहार नमस्ते से प्रारंभ हुआ और अंत में नमस्ते-अलविदा से समाप्त हुआ, वह एक पूर्ण समाजभाषावैज्ञानिक इकाई है - 'प्रोक्ति' है। हम इसे भारतीय चिंतन का 'वाक्' भी कह सकते हैं। अर्थात् वागारंभ से वागंत तक का भाषिक व्यवहार 'प्रोक्ति' है। दूसरा उदाहरण शैक्षिक परिवेश का लें। घंटा बजता है। पहले वाले अध्यापक पढ़ा कर बाहर जाते हैं। कुछ देर बाद दूसरे अध्यापक आते हैं। सामाजिक अन्योन्य क्रिया छात्रों के खड़े हो जाने से हो जाती है। यदि 'गुड मार्निंग' आदि का प्रयोग होता है तो तब से, अन्यथा जब अध्यापक पढ़ाने लगते हैं, तब से 'प्रोक्ति' का आरंभ हो जाता है। घंटा बजने पर जब अध्यापक पढ़ाना बंद कर देते हैं, तब भाषिक व्यवहार अर्थात् 'प्रोक्ति' का अंत होता है। ये तो उदाहरण मौखिक प्रोक्ति के थे। लिखित भाषा-व्यवहार में लिखित अंश का आदि अंत स्पष्ट होता है। आपने अपने मित्र को पत्र द्वारा लिखित संदेश भेजा : पत्र स्वयं एक लेखबद्ध अपने में पूर्ण इकाई है - वह एक 'प्रोक्ति' है। पूरा उपन्यास अथवा पूरी कृति या रचना भी एक 'प्रोक्ति' है। आपकी पाठ्यपुस्तक भी एक 'प्रोक्ति' है, उसके अध्याय भी 'प्रोक्ति' हैं, अध्याय के खंड भी प्रोक्ति हैं और एक पैराग्राफ भी एक प्रोक्ति है - यह बात दूसरी है कि आप उन्हें 'प्रोक्तिबंध', 'प्रोक्तिसमुच्चय', 'प्रोक्ति-समूह', 'प्रोक्ति' जैसे कोई नाम, क्रमशः उन्हें दे दें। संक्षेप में प्रोक्ति में आकार का कोई बंधन नहीं है। छोटा-सा नोटिस 'फूल तोड़ना मना है' एक प्रोक्ति है क्योंकि संदेश-प्रेषण की दृष्टि से वह पूर्ण है, और दूसरी ओर 'महाभारत' जैसे महाकाव्य भी।

इस प्रकार हमने देखा, कि प्रोक्ति एक समाजभाषावैज्ञानिक इकाई है जो संप्रेषण की दृष्टि से, संदेश की पूर्णता की दृष्टि से और आशय-अभिव्यक्ति की दृष्टि से अधूरी नहीं है। इस प्रोक्ति को, जब भाषावैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, तब वह एक, वाक्य के ऊपर की, व्याकरणिक संरचना है। जिस प्रकार रूपिम (मार्फीम) शब्दों की, शब्द पदबंधों की, पदबंध उपवाक्य की और उपवाक्य वाक्य की उत्तरोत्तर रचना करते हैं, वैसे ही वाक्य 'प्रोक्ति' (व्याकरणिक प्रोक्ति) की रचना करते हैं। अर्थात् 'प्रोक्ति' के संरचक-घटक 'वाक्य' हैं। ये

संरचक वाक्य परस्पर जुड़ कर जब एक संदेश की स्वयंपूर्ण अभिव्यक्ति करते हैं, तब 'प्रोक्ति' बनती है। लिखित संदेश में यह सरलता है कि लेखक प्रायः विचारों की एकात्मकता एक पैराग्राफ स्तर पर निरूपित कर देता है। और इस प्रकार पैराग्राफरूपी प्रोक्ति सहजतः अभिनिर्धारित व पहचानी जा सकती है। पैराग्राफ के सभी वाक्य सुसंबद्ध और सुगुम्फित होकर एक आशय को पूर्णतः व्यक्त करते हैं जो कि 'प्रोक्ति' कहे जाने की पहली शर्त है।

13.4 प्रोक्ति प्ररूप

हमने पिछले अनुच्छेदों में प्रोक्ति के विषय में यह जाना कि वह सामाजिक अन्योन्य-क्रिया के बीच हुआ एक स्वयंपूर्ण भाषिक व्यवहार है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया स्वभावतः तभी संभव है जब एकाधिक सदस्य आमने-सामने हों। यह सामाजिक परिस्थिति कई प्रकार की हो सकती हैं किंतु उन्हें दो प्ररूपों में बद्ध किया जा सकता है - एक, जब सदस्य बातचीत कर रहे हों अर्थात् श्रोता स्वयं वक्ता बनता है और वक्ता श्रोता और ऐसा वक्ता-श्रोता-परिवर्तन बार-बार होता है, दूसरे, जब वक्ता ही मुख्यतः संदेश दे रहा है, श्रोता लगभग श्रोता ही बने हुए हैं अर्थात् वक्ता-श्रोता परिवर्तन नगण्य है। इस प्रकार प्रोक्ति के दो मुख्य प्ररूप बनते हैं :

(1) वार्तालाप : (+) वक्ता-श्रोता - भूमिका परिवर्तन
(2) भाषण : (-) वक्ता-श्रोता भूमिका परिवर्तन

इन दो सामान्य प्ररूपों के अतिरिक्त विरलतया वे स्थितियाँ आती हैं जब वाचिक कथन क्रिया तो है, किंतु श्रोता नहीं है। जैसे :

(3) स्व-वार्तालाप : जहाँ वक्ता स्वयं अपना श्रोता बन जता है।
(4) स्व-भाषण : जहाँ वक्ता का न बाह्य न आंतरिक श्रोता है।

इन दोनों को 'स्वालाप' शीर्षक में समेटा जा सकता है।

(1) **वार्तालाप :** वार्तालाप प्रारूप में वक्ता कुछ बात करता है। सुनने वाला श्रोता सुनकर सुनते-सुनते बिना वक्ता के चुप हुए बोलने लगता है। यदि कई लोग हैं तो प्रायः सभी बातचीत में बोलने की भूमिका अदा करते हैं। प्रायः बातचीत के दौरान ऐसी स्थिति नहीं आती है कि बिल्कुल सन्नाटा पर्याप्त समय तक हो, और सभी या एकाधिक एक ही समय बोल रहे हैं यह स्थिति भी नहीं आती है।

वार्तालाप में प्रायः किसी बात से आरंभ होता है : कभी-कभी उस बात पर कई लोग बोलते रहते हैं किंतु अनेक बार ऐसी स्थिति आती है कि नया-नया बोलने का विषय आने लगता है और लोग उस पर बातचीत करने लगते हैं। कभी-कभी कोई भी विषय केंद्र में या प्रधान नहीं होता और नए विषय तथा पुराने विषय में कोई पक्का तार्किक बंध नहीं होता है, तब वार्तालाप गप-शप बन जाता है।

वार्तालाप का एक प्रभेद चर्चा-परिचर्चा आजकल बहुत प्रचलित है। परिचर्चा में अनेक सदस्य, प्रायः चर्चा विषय के अच्छे जानकार, एक साथ एकत्र किए जाते हैं। एक संयोजक अथवा सूत्रधार होता है जो श्रोताओं में से अगला वक्ता कौन हो इसका संकेत देता है और वह संकेतित व्यक्ति वार्तालाप की कड़ी को आगे बढ़ाता है। यदि संकेतित व्यक्ति के अतिरिक्त कोई बोलने लगता है तो किसी प्रकार उसे अपनी बात शीघ्र समाप्त करने को कहते हैं या टोक देते हैं। छात्रों का ग्रूप-डिस्कशन भी इसी कोटि का है।

वार्तालाप का एक प्रभेद वह है जहाँ एक ही व्यक्ति से अनेक लोग कुछ पूछते हैं। जिससे पूछा जा रहा है उसे श्रोता मान लिया जाए तो वक्ता अनेक है अर्थात् वक्ता श्रोता संबंध बहु-एक (many : one) का है। एम.ए. या पीएच.डी. की मौखिकी परीक्षा तथा सेवार्थ साक्षात्कार (इन्टरव्यू) तथा एक प्रकार से पुलिस आदि की पूछताछ (इन्टेरोगेशन) इसी कोटि की है। इन सबमें जिससे पूछा जा रहा है कुछ कम प्रतिष्ठा का उस उस समय है, इसके विपरीत प्रेस कांफ्रेंस है जहाँ जिससे पूछा जा रहा है वह उच्च प्रतिष्ठा का उस स्थिति में है (यहाँ उच्च प्रतिष्ठा का अर्थ यह है कि उसे महोदय, मान्यवर करके संबोधित किया जाता है)।

(2) **भाषण** : भाषण प्रारूप में एक प्रमुख वक्ता तथा अनेक श्रोता होते हैं। वक्ता की भाषण के समय विशिष्ट सामाजिक प्रास्थिति (स्टेटस) होती है। सामान्यतया उसे टोका या रोका नहीं जाता। भाषण का हमेश एक विशेष विषय तथा प्रयोजन होता है।

भाषणों में सामान्यतया श्रोता प्रत्यक्ष होते हैं और वक्ता वातावरण और श्रोताओं की अनुक्रियाओं पर ध्यान देता है। राष्ट्रपति का संदेश एक ऐसा भाषण है जिसमें कोई प्रत्यक्ष श्रोता नहीं होता है। आजकल दूरदर्शन तथा आकाशवाणी से विभिन्न राजनैतिक दल अपने दृष्टिकोण को जनता के सामने रखते हैं, वहाँ भी प्रत्यक्ष श्रोता नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री के लालकिले से पंद्रह अगस्त के भाषण में सामने प्रत्यक्ष श्रोता होते हैं और दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से शेष भारतवासी उस भाषण को सुनते हैं1 यहाँ श्रोता प्रत्यक्ष तो होते हैं किंतु केवल मूक दर्शक। अन्य सम्मेलन आदि में श्रोता प्रत्यक्ष होते हैं और मूक दर्शक न होकर अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रदर्शन के लिए स्वतंत्र होते हैं।

भाषण के अन्य प्रभेदीकरण का आधार श्रोताओं की संख्या है। श्रोताओं की संख्या सीमित इनी-गिनी से विपुल रैली जैसी भीड़ तक होती है। बीच में लघुसंख्यक मध्यसंख्यक, बहृत्संख्यक प्रभेद आते हैं। विशाल या विपुल संख्या में श्रोता राजनैतिक रैलियों में अपने राजनेता को सुनने के इच्छुक व्यक्ति होते हैं। बृहत् संख्या में श्रोता राजनेताओं तथा धर्मगुरुओं को सुनने आते हैं। मध्यम संख्या में सम्मेलन, विचारगोष्ठी, शैक्षिक समारोहों में दिखाई पड़ते हैं। लघुसंख्यक में संगोष्ठी, कक्षा आदि के व्याख्यान आते हैं। सीमितसंख्यक में छोटी विचारगोष्ठी, आदि में लोग एकत्र होते हैं। समिति की बैठकों में सीमित संख्या के सदस्यों के होने पर भी भाषा-व्यवहार वार्तालाप-प्ररूप का होता है क्योंकि सभी सदस्यों को बोलने का अधिकार होता हे।

जहाँ तक टोका-टाकी का प्रश्न है वह आयोजन की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं मर्यादा तथा वक्ता-श्रोता सामाजिक संबंध में वक्ता की सामाजिक प्रस्थिति पर निर्भर है। यदि श्रोता की वक्ता के प्रति श्रद्धा है, वक्ता की आप्तता और ईमानदारी पर पूरा विश्वास है और श्रोता को संदेश से अपना हित होने की पक्की निष्ठा है तो भाषण के बीच बाधा नगण्य हो जाती है।

(3)–(4) स्वालाप : स्वालाप की स्थिति अतिविरल होती है। यहाँ कोई श्रोता नहीं होता है अतएव सामाजिक अन्योन्य क्रिया का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु जीवन में अनेक स्थितियाँ ऐसी आती हैं जब व्यक्ति मन ही मन बोलता है। किसी के कथन या कार्य पर प्रायः हम टिप्पणी (कमेन्ट) करते हैं, वार्तालाप की मर्यादा के कारण बोल तो नहीं सकते हैं पर मन में कमेन्ट अवश्य करते हैं। संस्कृत नाटकों में ऐसी स्थिति में स्वगत/स्वकथन (पात्र ऐसा बोलता है और विचार प्रकट करता है मानो और कोई सुन न रहे हों) का प्रयोग होता है।

स्व-वार्तालाप का प्रयोग फिल्मों में आंतरिक संघर्ष की अभिव्यक्ति के रूप में प्रायः दिखाई पड़ता है जहाँ व्यक्ति के दो स्वरूप - प्रायः एक अच्छा और एक बुरा - आमने-सामने आते हैं

और आपस में बात करते हैं। स्वभाषण की स्थिति में वक्ता किसी दृश्य या घटना को देख कर भावातिरेक से बोल बैठता है। विस्मयादिबोधक अथवा उद्गारात्मक अव्यय तो स्वभाषित हैं। दर्द से ओह् करते समय आप किसी श्रोता की उपस्थिति की अपेक्षा नहीं करते।

लिखित प्रोक्ति के प्रारूप : लिखित संदेश भी वार्तालाप, भाषण तथा स्वालाप के समान प्रभेदीकृत किया जा सकता है। पत्र वार्तालाप-प्रवण होते हैं क्योंकि पत्र के पाठक से पत्र का लेखक पत्रोत्तर की अपेक्षा रखता है। उपन्यास, कहानी आदि में वार्तालाप मिलते हैं, नाटक आदि तो वार्तालाप आधारित हैं ही - किंतु ये सब मौखिक वार्तालाप के प्रतिफलन हैं।

लिखित संदेश मुख्य रूप से भाषणवत् है जहाँ एक संदेश देने वाला और असंख्य संदेश लेने वाले। इसका प्रभेदीकरण प्रतिपाद्य विषय के आधार पर होता है। विषय के अनुसार उसमें तकनीकी शब्दावली, वाक्यरचना, तार्किक संरचना आदि होती है। विषयानुवर्तिनी भाषा-विकल्प चयन भाषा विज्ञान में 'रजिस्टर' नाम से विदित है।

स्वालापवत् लिखित रूप डायरी लेखन तथा कुछ मात्रा में संस्मरण होते हैं। कविता को प्रायः माना तो जाता है कि वह और के पढ़ने के लिए नहीं है, किंतु यथार्थतः ऐसा होता नहीं है।

13.5 प्रोक्ति विश्लेषण

प्रोक्ति की भाषाई अभिव्यक्ति, जो मूर्त रूप में हमें सुनाई या दिखाई पड़ती है, का भाषावैज्ञानिक विवेचन 'प्रोक्ति-विश्लेषण' कहा जाता है। प्रत्येक संरचना के समान प्रोक्ति-संरचना के भी एक से अधिक संरचक होते हैं, प्रत्येक का अपना प्रकार्य होता है, प्रत्येक उसे अपनी ओर से स्वरूप देते हैं और प्रत्येक ऐसे प्रतिबंध (कान्स्ट्रेन्ट) प्रस्तुत करते हैं जिससे भाषाई अभिव्यक्ति के असीमित विकल्पों को नियमित रूप से बद्ध होकर ही आना पड़ता है। ये प्रतिबंध (कांस्ट्रेन्ट्स) मूलतः परंपरा या रूढ़ द्वारा निर्धारित होते हैं और मूलतः सामाजिक-सांस्कृतिक होते हैं। नीचे इन संरचक/अभि-निर्धारकों का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है।

13.5.1 सामाजिक परिवेश

मनुष्य कभी शून्य में भाषा-व्यवहार नहीं करता है, वह किसी-न-किसी सामाजिक परिवेश में ही भाषा-व्यवहार करता है। ये सामाजिक परिवेश (डोमेन) भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। मुख्य परिवेश हैं :

(i) घर-परिवार का परिवेश
(ii) जीविका कार्य का परिवेश
(iii) सामाजिक-धार्मिक कृत्य कार्यों का परिवेश
(iv) शिक्षण प्रशिक्षण का परिवेश
(v) सामाजिक प्रबंधन का परिवेश - राजनैतिक परिवेश

(i) घर परिवार का परिवेश : मनुष्य का अधिकांश जीवन घर-परिवार में बीतता है, घर-परिवार एक जीवशास्त्रीय संस्था है, आवास-भोजन-आच्छादन - इन तीन मूल आवश्यकताओं का तथा शिशु पालन द्वारा स्पीशीज संवर्धन व्यवस्था का प्रबंधन यही करता है। भाषा तथा संस्कार बच्चा यहीं सीखता है। इस परिवेश की मुख्य भाषा-संप्रेषण विधा वार्तालाप है। गृहणियों का तो लगभग सारा समय इस परिवेश में बीतता है और वार्तालाप में उनका कौशल सुप्रसिद्ध है।

(ii) जीविका कार्यक्षेत्र का परिवेश : घर परिवार के बाद मनुष्य का अधिकांश समय जीविका कार्यक्षेत्र में बीतता है। क्या किसान, क्या मज़दूर, क्या अन्य सेवा संलग्न

व्यक्ति - सभी दिन के पर्याप्त समय में इनमें लगे रहते हैं। इस परिवेश में भी वार्तालाप संप्रेषण विधा का प्रयोग होता है। यह वार्तालाप कभी-कभी गंभीर व्यावसायिक होता है किंतु अधिकतर सामान्य सूचनापरक होता है अथवा शिथिल क्षणों में गप-शप, पर निंदा आदि।

(iii) **सामाजिक-धार्मिक कृत्य कार्यों का परिवेश :** धार्मिक कृत्य, पर्व-उत्सव, सामाजिक नृत्यगान समारोह, विवाह आदि संस्कार, तथा सामान्य आमोद-प्रमोद एवं खेलकूद के आयोजन - सभी इस परिवेश के अंग हैं। प्रवचन (भाषण), कथावाचन, यज्ञ-हवन में सामूहिक मंत्रोच्चार, कीर्तन-भजन, धर्म ग्रंथ पाठ आदि इस परिवेश के प्रमुख भाषा व्यवहार हैं। वार्तालाप का प्रयोग सामान्यतया प्रश्नोत्तर तथा चर्चा परिचर्चा में ही होता है।

(iv) **शिक्षण-प्रशिक्षण का परिवेश :** जीविका कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए उस क्षेत्र में शिक्षण-प्रशिक्षण आवश्यक है। यह औपचारिक रूप से या तो प्रत्यक्षतः स्कूल, कालेजों आदि में होता है या ओपन स्कूल आदि के माध्यम से दूरस्थ पद्धति से होता है, अनौपचारिक रूप से परिवार तथा व्यावसायिक कार्य क्षेत्र के पूर्व प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा। इस परिवेश में व्याख्यान (भाषण) आजकल प्रमुख हैं। कौशल कार्यों में अनुदेशात्मक तथा अनुकरणात्मक भाषा व्यवहार प्रयुक्त होता है। उच्च शिक्षा में वाद-विवाद, संगोष्ठी, विचारगोष्ठी, सम्मेलन तथा दीक्षांत-सत्रारंभ-सत्रावसान आदि समारोहों में भाषा व्यवहार मिलता है। ये सभी भाषण-प्ररूप के हैं। वार्तालाप विधा प्रश्नोत्तर, चर्चा-परिचर्चा, मौखिकी परीक्षा आदि में मिलती है। अब सूचना-तकनीक तंत्र के विकास के साथ यह सब अन्य भाषा-चैनलों - रेडियो, टी.वी., कंप्यूटर-डिस्क तथा कंप्यूटर नेटवर्क से मिलने लगे हैं।

(v) **सामाजिक प्रबंधन परिवेश :** आरंभ से ही समाज के सदस्यों में से कुछ इसका दायित्व निभाते थे बाहरी तत्वों के आक्रमण से रक्षा, आंतरिक झगड़ों का निपटान, मर्यादा (नार्म) तोड़ने वालों को दंड, तथा मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने की व्यवस्था हो। देश और राष्ट्र की संकल्पनाओं के साथ समाज विस्तृत हो गया और यह दायित्व राजा, राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री आदि पर आ गया। आजकल इस राजनैतिक संस्था पर रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, विधि-दंड विधान, विधायिका तथा कुछ सेवाओं, जैसे - वित्तीय, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य आदि का दायित्व पड़ा है। भाषाई व्यवहार की संप्रेषण विधा भाषण तथा समिति संचालन प्रमुख है। राष्ट्रपति का संदेश, प्रधानमंत्री का लाल किले पर भाषण, संसद में भाषण-परिभाषण, विभिन्न समितियों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि के भाषण इसी कोटि के हैं। वार्तालाप का रूप विदेशाध्यक्षों के साथ बातचीत तथा समितियों में चर्चा परिचर्चा ने ले लिया है।

13.5.2 सामाजिक संबंध (प्रस्थिति)

प्रत्येक समाज में सदस्यों के बीच उत्तराधर-क्रम अवश्य मिलता है। यह उत्तराधरक्रम सत्ता (सत्+ता= अस्तित्व का गुण) का होता है। सत्ताधारी अपने क्षेत्र में निर्णय ले सकता है, अपने से अधरक्रम को कार्य वितरण तथा कार्य पर्यवेक्षण (मॉनीटरिंग) कर सकता है और अपने से उत्तरक्रम के अनुसार कार्य संपादन तथा कार्य संचालन कर सकता है। परिवार-परिवेश में संयुक्त परिवारों में मुखिया प्रमुख सत्ताधारी होता है, जीविका क्षेत्र में आजकल सर्वोच्च प्रबंधक व्यक्ति अथवा मंडल सर्वोच्च सत्ताधारी होता है। धर्म-परिवेश में सभी धर्मों में गुरुओं-आचार्यों तथा मठाध्यक्षों में उत्तराधर क्रम है। राजनैतिक क्षेत्र में तो राष्ट्रपति से आरंभ होकर बड़ी सीमा तक प्रोटोकोल-सूची में उत्तराधर क्रम अंकित है। इस कारण प्रत्येक सामाजिक व्यवहार में दो या अधिक सदस्यों के बीच सत्ता (=प्रास्थिति status) प्रवर-अवरता विद्यमान होती है। किंतु प्रायः व्यक्ति भिन्न-भिन्न परिवेश में भिन्न-भिन्न प्रास्थिति रखता है। घर का

बड़ा भाई कार्यालय में अधीनस्थ भी हो सकता है। धार्मिक परिवेश में शंकराचार्य के सामने राजनैतिक क्षेत्र के सर्वोच्च राष्ट्रपति भी नतमस्तक हो सकते हैं। यह बात दूसरी है कि समाज में विभिन्न परिवेशों में समय-समय पर पारस्परिक भिन्न-भिन्न उत्तराधरक्रमी प्रतिष्ठा का भाव होता है। पहले गुरु शैक्षिक परिवेश के बाहर भी, अन्य परिवेशों में समुचित समादर पाता था, अब वह स्थान शायद राजनेताओं ने ले लिया है। यह सत्ता-विभिन्नता भाषा व्यवहार में स्पष्टतः प्रतिफलित होती है। समादरता का स्केल और घनिष्ठता-आत्मीयता का स्केल विशेषणों, क्रियाविशेषणों, संज्ञाओं तथा क्रियाओं के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

13.5.3 सामाजिक प्रयोजन

प्रत्येक वक्ता श्रोता के पास कुछ संदेश पहुँचाना चाहता है और यह चाहता है कि श्रोता संदेश को यथानुकूल ग्रहण करे और तत्पश्चात् कुछ करे। श्रोता क्या करे यह वक्ता का प्रयोजन (आशय) (intention) होता है। वक्ता की श्रोता से ये अपेक्षाएँ होती हैं :

(i) वक्ता से तथ्यात्मक जानकारी पाकर श्रोता अपनी संचित ज्ञानराशि को संवर्धित और पुनः संयोजित करे तथा फलस्वरूप उसके विचारों, दृष्टिकोणों, आस्थाओं तथा मूल्यों में वक्ता-अपेक्षित परिवर्तन आए।

(ii) श्रोता संदेश ग्रहण के बाद अपने मनोभावों, संवेगों, मनोवृत्तियों में वक्ता से वांछित परिवर्तन करे।

(iii) श्रोता संदेश ग्रहण के बाद अपने क्रिया-व्यवहार तथा कार्य संपादन रीति में परिवर्तन लाए।

वक्ता इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने संदेश का रूप देता है इस कारण अभिव्यक्ति शैली पर इन प्रयोजनों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

13.5.4 सामाजिक भाषा-व्यवहार के पैटर्न

प्रोक्ति प्ररूप, जैसे वार्तालाप, भाषण और स्वालाप की चर्चा हम पहले कर आए हैं। कौन-सा पैटर्न अपनाया जाए यह सामाजिक परिवेश, सामाजिक प्रास्थिति (वक्ता-श्रोता की) तथा सामाजिक प्रयोजन बहुत कुछ निश्चित कर देता है।

उपरिलिखित निर्धारित तत्व मुख्यतया सामाजिक हैं। ये तत्व यह निर्धारित करते हैं कि अभिव्यक्ति की भाषा, बोली क्या हो (संदेश की भाषा स्वाभाविकतया वही होगी जो दोनों को बोधगम्य हो), अभिव्यक्ति किस भाषाई चैनल-लिखित या मौखिक - को अपनाए (व्यक्ति यदि सामने है तो वक्ता मौखिक चैनल ही अपनाएगा), और अभिव्यक्ति शैली क्या हो। इसका विवेचन आगे किया जा रहा है।

13.5.5 अभिव्यक्ति शैली

अभिव्यक्ति शैली तीन आयामों से बद्ध है :

(1) समादरता मापक्रम (स्केल)
(2) घनिष्ठता मापक्रम (स्केल)
(3) कोडटोन मापक्रम (स्केल)

(1) **समादरता स्केल :** इसकी पाँच कोटियाँ बनती हैं :

(i) " + + समादर" - अत्यधिक आदर। जेसे 'महामहिम' 1008 परम श्रद्धेय...'
(ii) " + समादर" - सामान्य आदर सूचक भाषा। 'अप', 'हुजूर'।
(iii) " 0 समादर" - समभाव, जहाँ आदर-अनादर का प्रसंग ही नहीं होता।
(iv) " - समादर" - आदर का भाव नहीं, थोड़ा निरादर भी हो सकता है।

(v) " - - समादर" - स्पष्ट निरादर, कुछ मात्रा में तिरस्कार-उपेक्षा भी।

ये भाव संज्ञा, विशेषण, क्रिया शब्दों से, सर्वनाम से, विशिष्ट संबोधकों से तथा वाक्य शैली से प्रकट होते हैं। इनका समावेशी नाम 'honorific' है।

(2) **घनिष्ठता स्केल** : इसकी भी पाँच कोटियाँ हैं :

(i) अतिऔपचारिक (रूढ़) शैली - "महामहिम, पधारिए, पधारिए"
(ii) औपचारिक (शैली) - "मैं बहुत आभारी होऊँगा यदि आप आ जाएँ।"
(iii) सामान्य-परिचय (शैली) - कृपया भीतर आ जाइए।
(iv) घनिष्ट-परिचय (शैली) - भीतर आ जाओ
(v) अतिघनिष्ठ (शैली) - अमाँ, भीतर क्यों नहीं आ रहे हो।

(3) **कोडटोन** : वास्तव में बहुत कम वाक्य उदासीन भाव से बोले या लिखे जाते हैं - प्रायः कुछ-न-कुछ हृदयगत भावनाएँ लिप्त रहती हैं। वार्तालाप की तो ये प्राण हैं। हाईम्स (1977) ने इसे संप्रेषण की 'key' कहा है और उनके अनुसार "टोन वह रीति या भावना है जिससे क्रिया की जा रही है।" मनबी (1978) ने 51 टोन सरणियाँ प्रतिपादित की हैं। उक्त ग्रंथ के पृष्ठ 50-51 में 'सुझाव' के बीस प्रकार के उपवाक्य दिए गए हैं, जिनमें 'suggestion' के साथ टोन [+personal] [+deferential] [+ encouraging) वाले दो उपवाक्य हैं :
"would you care to try the ....."
May I suggest (that you try) the ....."

13.6 पाठ

यह तकनीकी शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है - विस्तृत और संकुचित विस्तृत अर्थ में यह 'प्रोक्ति' के समकक्ष है। इस दृष्टि से कोई भी वार्तालाप, कोई भी भाषण, या कोई भी लिखित अभिव्यक्ति, चाहे छोटी या बड़ी, 'टेक्स्ट' है। "A text may be spoken or written, prose or verse, dialogue or monologue. It may be any thing from a single proverb to a whole play, from a momentary cry for help to an all day discussion in a committee."। किंतु अपने संकुचित अर्थ में प्रोक्ति या प्रोक्ति का वह अंश जिसका विश्लेषणात्मक विवेचन किया जाना है, पाठ (टेक्स्ट) है। पाठ का ऐसा विवेचन मुख्यतया भाषाई/ भाषावैज्ञानिक होता हे। प्रोक्ति के सामाजिक निर्धारक तत्व किस प्रकार भाषा-रचना में प्रतिफलित हो रहे हैं यह दिखाना पाठ्य विश्लेषण है। अतएव पाठ अनेक वाक्यों के समुच्चय (एक वाक्यीय टेक्स्ट नोटिस, नारों, चेतावनियों, शीर्षकों आदि तक सीमित होते हैं) में सभी वाक्य किस प्रकार एकात्मकता की स्थिति को पैदा करते हैं, इसे स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों के झुंड को लीजिए :

1. खाली समय में किसान बैल की खूब देख-रेख करता था।
2. दोनों कड़ी मेहनत करते थे।
3. बेचारे बैल को भी रूखा-सूखा ही मिलता था।
4. उसके पास एक बैल था।
5. उसको अपने मालिक से कोई शिकायत न थी।
6. एक किसान था।
7. पर बैल बड़ा संतोषी था।
8. किसान के साथ रहते-रहते बैल बूढ़ा हो गया।
9. फिर भी किसान का गुजारा मुश्किल से चलता था।

10. वह जानता था कि उसका मालिक कंजूस नहीं है, और उसको बहुत प्यार करता है।

यदि इन वाक्यों को कोई इसी क्रम से पैराग्राफ - बद्ध कर दे तो कोई भी यह कह देगा कि यह पाठ (टेक्स्ट) नहीं है। अब यदि आप, भाषा पाठों के पूर्वानुभवों के आधार पर पुनर्व्यक्त करें तो सहजतः निम्नलिखित पैराग्राफ बन जाएगा :

"**एक किसान** था। उसके पास एक **बैल** था। **किसान** के साथ रहते-रहते **बैल** बूढ़ा हो गया। **दोनों कड़ी मेहनत** करते थे। **फिर भी किसान** का **गुजारा मुश्किल** से चलता था। बेचारे **बैल** को भी **रूखा-सूखा भूसा** ही मिलता था। **पर बैल** संतोषी था। **उसको अपने मालिक** से कोई शिकायत नहीं थी। **वह** जानता था कि **उसका** मालिक कंजूस नहीं है और **उसको** बहुत प्यार करता है। खाली समय में **किसान बैल** की खूब देखरेख करता था।"

अब जब आपने यह पैराग्राफ पुनःसर्जित कर लिया और उसे पाठ बना ही लिया, आप अंतर्वेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि आपने ऐसी क्रमबद्धता क्यों की - आपको क्या-क्या संकेत वाक्यों से मिले थे, वाक्य-संयोजकों ने क्या-क्या इंगित किया, तार्किक क्रमसंयोजन ने आपको क्या सहायता पहुँचाई, अर्थ की दृष्टि से पूर्वापरक्रम स्थापन में शब्दों के पारस्परिक संबंधों ने किस प्रकार दिशादर्शन किया आदि-आदि। इन पर कई प्रकार से विचार कीजिए और फिर देखिए कि अगले अनुच्छेदों में वाक्यों की सुगुम्फितता के संबंध में बताया जा रहा है उसको आपने किस प्रकार सहजतः प्रयुक्त किया है।

13.7 संसक्ति (Cohesion)

हैलिडे-हसन ने अपनी पुस्तक 'Cohesion in English' (1976) में संसक्ति के संबंध में विस्तार से विवेचन किया है। प्रत्येक वाक्य अपने पूर्व के वाक्य/वाक्यों को और कभी-कभी बाद के वाक्य/वाक्यों को, किसी-न-किसी प्रकार श्रृंखलित करता है। इस श्रृंखलन-प्रक्रम का नाम संसक्ति है। संसक्ति दो प्रकार की होती है:

(1) व्याकरण-आधारित (व्याकरणिक)
(2) अर्थ-आधारित (आर्थी)

13.7.1 व्याकरण-आधारित संसक्ति

व्याकरण-आधारित संसक्ति-तत्वों में सबसे प्रमुख वाक्य-संयोजाक (conjunction) हैं (ऊपर के उद्धरण में फिर भी', 'पर', 'और')। इनकी शृंखलन प्रकृति से आप भलीभाँति परिचित हैं। इसके अतिरिक्त हैं :

(i) संकेतक (Reference)
(ii) स्थानापन्न शब्द (Substitute)
(iii) अध्याहार/लोप (Ellipsis)

(i) संकेतक : निम्न उद्धरण वाक्यों को देखिए :

"एक किसान था। **उसके** पास एक बैल था।"
"पर बैल संतोषी था। **उसको अपने** मालिक से कोई शिकायत नहीं थी।"

यहाँ 'उसके' और 'उसको' के माध्यम से परवर्ती वाक्य पूर्ववर्ती वाक्य से शृंखलित है। यह शृंखलन 'पूर्व संकेतक' (anaphora) द्वारा हो रहा है।

अब निम्न वाक्यों को देखिए :

"**इस तरह** से आप शीघ्र अच्छे हो सकते हैं। सुबह उठ कर एक गिलास पानी पी लें और पाँच किलो मीटर घूम आएँ।"

यहाँ पूर्ववर्ती वाक्य का 'इस तरह' परवर्ती वाक्य के सुबह पानी पीने और घूमने जाने का संकेतन करता है। यह शृंखलन 'पश्च संकेतक' (cataphora) कहा जाता है।

अब इन वाक्यों को देखिए :

"क्या तुमने वह किताब पढ़ ली?
नहीं सर, अभी नहीं पढ़ पाया।"

यहाँ 'वह' का संकेतन 'बहिःसंकेतक' (exaphora) है क्योंकि पाठ में इसका उल्लेख नहीं है।

(ii) **स्थानापन्न शब्द** : अंग्रेज़ी भाषा में यह संसक्ति-साधन बहुत प्रचलित है। उदाहरण देखिए :

(a) My axe is too blunt : I must get a sharp one.
(b) Does Mary sing? - No, but Mary does.
(c) Everyone is leaving . It seems so - It is so!

हिंदी में संज्ञा के लिए 'one' या क्रिया के लिए 'do' के प्रयोग नहीं मिलते हैं। हाँ, 'दोनों कड़ी मेहनत करते थे' में दोनों 'किसान' और 'बैल' का स्थानापन्न माना जा सकता है।

(iii) **अध्याहार** : यह प्रक्रिया हिंदी में भी बहुत सामान्य है। देखिए :

"आल्मारी में तीन लड्डू रखे हैं - एक उठा लो।
नहीं, मम्मी! मैं दो लूँगा।"

यहाँ 'एक' और 'दो' के आगे लड्डू का अध्याहार है।

13.7.2 अर्थ आधारित संसक्ति

अर्थ-आधारित संसक्ति में परवर्ती वाक्य पूरवर्ती से इसलिए शृंखलित होता है क्योंकि दोनों से एक ही शब्द - प्रायः संज्ञा शब्द - फ़ोकस में होता है। जैसे उद्धरण में 'किसान', 'बैल' (उद्धरण में ये अंकित हैं)। इसके अतिरिक्त पर्याय या पर्यायवत् शब्द शृंखलित करते हैं, जैसे उद्धरण में किसान के लिए 'मालिक'। आर्थी क्षेत्र के अन्य उच्चवर्गीय या मध्यवर्गीय (superordination और subordination) का भी प्रयोग प्रायः होता है।

किंतु इन दोनों से बढ़कर तार्किक संगतता शृंखलन का कार्य करती है। इसमें कार्य-कारण भाव प्रमुख है, जैसे 'मोहन कल स्कूल नहीं गया था। ज्वर आ गया था।'

13.8 पाठ विश्लेषण

पाठ विश्लेषण में चुने हुए प्रोक्ति खंड के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएँ दी जाती हैं :

(1) पाठ्य किस सामाजिक परिवेश से संबंधित है और क्या चर्चा बिंदु (फ़ोकस-टापिक) है?

(2) पाठ्य में कौन-कौन पात्र हैं। जिस परिवेश से पाठ्य लिया गया उसमें उनकी क्या प्रास्थिति है? उनमें क्या उत्तराधर क्रम है? अन्य प्रास्थितियों तथा पारस्परिक संबंधों का उल्लेख करें।

(3) किस आशय की पूर्ति यह पाठ कर रहा है?

(4) यह किस प्रोक्ति-प्ररूप का है? वार्तालाप, भाषण आदि।

(5) किस भाषा/बोली, किस भाषा चैनल तथा किस अभिव्यक्ति शैली में पाठय प्रस्तुत है?

(6) टापिक और प्रास्थिति देखते हुए अभिव्यक्ति शैली में किस प्रकार समादरता, घनिष्ठता तथा कोड-टोनों को अभिव्यंजित किया गया है?

(7) प्रोक्ति प्ररूप का प्रस्तुति-वैशिष्ट्य किस प्रकार यहाँ दिखाया गया है, वार्तालाप में वार्तालाप वैशिष्ट्य बिंदु बताएँ - जैसे कब साथ-साथ बोलना हुआ और कम सभी चुप, कैसे विषय या आरंभ हुआ कैसे अंतः कैसे विषय का पुनरारंभ हुआ और कैसे पूर्व विषय को स्थगित, कैसे समर्थन किया गया कैसे खंडन, आदि आदि) इसी प्रकार भाषण शैली की सुगुम्फित पर प्रकाश डालें।

(8) पैराग्राफ किस प्रकार व्याकरणिक और आर्थी संसक्ति से जुड़े हुए हैं। उनमें विषयपरक संगति किस प्रकार विद्यमान है।

(9) तार्किक दृष्टि से पैराग्राफ में वाक्यों तथा पूरी बृहत् प्रोक्ति में पैराग्राफ का आसंजन स्पष्ट करें।

इस प्रकार इस पाठ में प्रोक्ति तथा पाठ्य के स्वरूप का तथा प्रोक्ति तथा पाठ्य के विश्लेषण का संक्षिप्त विवेचन किया गया है। इन विश्लेषण-कार्यों का अभ्यास बहुत आवश्यक है क्योंकि ये विश्लेषण आजकल के सूचना नेटवर्क में बहुत महत्वपूर्ण हैं। सूचना तंत्र से जुड़े सभी लोग - संवाददाता, संपादक, चर्चा-संयोजक, स्तंभ लेखक, अनुवादक आदि किसी-न-किसी स्तर पर अनजाने में अपनी प्रतिभा के अनुसार ये विश्लेषण करते आए हैं, किंतु अब सभी कार्यों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है और उसकी विश्लेषण पद्धति स्फुटित रूप में आनी चाहिए। इग्नू विश्वविद्यालय के एम.ए. पाठ्यक्रम में यह पाठ इसी रिक्तता की पूर्ति का प्रयास है।

13.9 सारांश

प्रोक्तिकात्मक मतलब है बड़ी युक्ति। भाषा के सामान्य व्यवहार के सभी संदर्भ जैसे बातचीत, एक कहानी या पत्र प्रोक्ति कहलाएँगे। इन्हें प्रोक्ति कहने का एक आधार है, जब व्यापक संदर्भ में भाषा का प्रयोग होता है तो सनशक्ति आदि कुछ विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं जैसे सर्वनाम, प्रोक्ति का सबसे प्रमुख उदाहरण है। हम एक वाक्य में व्यक्ति का नामोल्लेख करते हैं तो उसके बाद सर्वनाम से उसका पुनः उल्लेख करते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि वाक्य में भविष्य और विधेय दो अनावरण घटक हैं। लेकिन हम कई वाक्यों में कर्ता को छोड़ देते हैं जैसे 'यहाँ आओ' यह अध्येहार इसलिए प्रोक्ति में संभव है और अकेले वाक्य में अनावरण घटक छूट नहीं सकते। इस कारण प्रोक्ति के अध्ययन में हम भाषा के सामान्य नियम के अतिरिक्त भाषा की कुछ और विशेषताएँ देखते हैं और उनका उल्लेख करते हैं।

भाषा सामाजिक वस्तु है। सामाजिक संदर्भ में भाषा के प्रयोग की अपनी कई विशेषताएँ हैं। कौन किससे बात कर रहा है और वह किस संदर्भ में बात कर रहा है : या प्रश्नोत्तर चर्चा-परिचर्चा या रेडियो वार्ता आदि संदर्भ में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा इसकी चर्चा हम प्रोक्ति के संदर्भ में ही कर सकते हैं।

प्रोक्ति विश्लेषण सहज भाषा के नमूने को 'पाठ' मानता है। यह पाठ एक छोटा-सा वाक्य भी हो सकता है या एक महाकाव्य भी। उस पाठ को संप्रेषण का आधार मानकर हम उसकी रचना का विश्लेषण करते हैं जिसे पाठ विश्लेषण कहा जाता है। पाठ विश्लेषण उस पाठ के परिवेश उसकी रचना कथ्य की विशेषताएँ और उस पाठ की भाषा शैली आदि की समग्र रूप से चर्चा करता है। इस विश्लेषण से हम भाषा के प्रयोग की विशेषताओं को जान सकते हैं जो अच्छे लेखक के लिए आवश्यक है। प्रोक्ति के अध्ययन से ही हम भाषा की प्रकार्यात्मता, सर्जनशीलता और का सही मूल्यांकन कर सकते हैं।

13.9 अभ्यास प्रश्न

1. निबंधात्मक प्रश्न

(1) प्रोक्ति की संकल्पना को सपष्ट करते हुए प्रोक्ति विश्लषण का महत्व समझाइए।

(2)

2. टिप्पणी लिखिए

(1) भाषा के प्रकार्य क्या हैं

(2) प्रोक्ति विश्लेषण में समाज का महत्व

इस खंड के लिए उपयोगी संदर्भ ग्रंथ

Bloomfield, L. (1933) : *Language*, Nyork, Holt, Rienhart and Winstion.

Halliday, (1976) : *System and Function in Language* (Selected Papers), G.R. Kress (Ed.), Oxford University Press.

S.A. Shane (1973) : *Generative Phonology*, Prentice Hall INC, London.

जगन्नाथन वी.रा. (1981) : *प्रयोग ओर प्रयोग*, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव एवं रामनाथ सहाय (1976) : संपादित : *हिंदी का सामाजिक संदर्भ*, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा।

रवींद्रनाथ श्रीवास्तव (1995) : *हिंदी भाषा संरचना के विविध आयाम*, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली।

सुरेश कुमार (1987) : *सम्प्रेषणपरक व्याकरण : सिद्धांत और स्वरूप*, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा। विशेषतः रमानाथ सहाय - '*संप्रेषणपरक व्याकरण : प्रकृति और स्वरूप* (पृष्ठ 145-172)।

कैलाश चंद्र भाटिया और रचना भाटिया ((2001) : *प्रयोजनमूलक व्यावहारिक हिंदी भाषा*, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, *हिंदी संरचना, ई.एच.डी.-7.*

भोलानाथ तिवारी (1989) : *हिंदी भाषा की ध्वनि संरचना*, साहित्य सहकार, दिल्ली।

भोलानाथ तिवारी (1974) : *हिंदी भाषा की संरचना*, वाणी प्रकाशन, दिल्ली।

सूरजभान सिंह (1991) : *हिंदी भाषा : संदर्भ और संरचना*, साहित्य सहकार, 29/62-बी, गली-1, विश्वासनगर, शाहदरा, दिल्ली-110 032.

सूरजभान सिंह (1985, 1992) : *हिंदी का वाक्यात्मक व्याकरण*, साहित्य सहकार, ई/।10-4, कृष्णनगर, दिल्ली-110 005.